न्यूज़ीलैंड में आपका स्वागत है

भारत से आगंतुकों के लिए न्यूज़ीलैंड सरकार की ओर से महत्त्वपूर्ण जानकारी

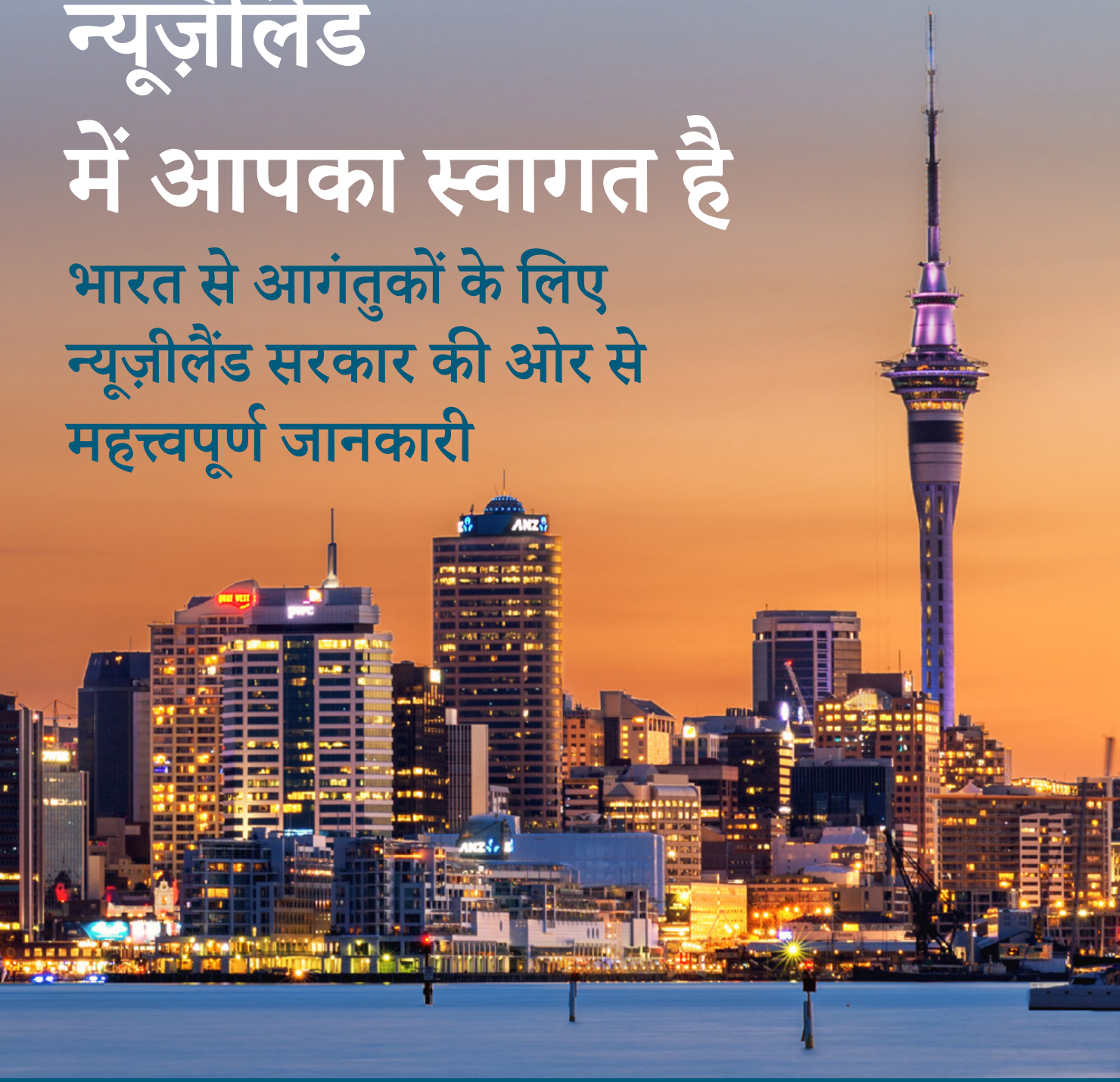

New Zealand Government

सितम्बर 2019

अपने वीज़ा की शर्तों को समझें

इमीग्रेशन (आप्रवास) न्यूज़ीलैंड आपके वीज़ा आवेदन के परिणामों के बारे में आप से संपर्क करेगा।

आपको अपने वीज़ा की सभी शर्तों का पालन अवश्य करना होगा। आपके वीज़ा की शर्तें, आपके वीज़ा अनुमोदन पत्र (अप्रूवल लेटर) में उल्लिखित हैं।

आपका वीज़ा समाप्त होने से पहले आपको न्यूज़ीलैंड छोड़ देना होगा। यदि आप न्यूज़ीलैंड में अधिक समय तक रहना चाहते हैं, तो आपका वर्तमान वीज़ा समाप्त होने से पहले आपको अन्य वीज़ा के लिए आवेदन करना होगा।

आप विजिटर वीज़ा पर काम या नौकरी नहीं कर सकते। इसमें वेतन के बदले में काम या आवास, भोजन या यातायात पर कम दरों के बदले में काम करने जैसे गैर-वित्तीय लाभ शामिल हैं।

आपकी विजिट (सैर) के लिए आपके पास पर्याप्त यात्रा/चिकित्सा बीमा अवश्य होना चाहिए।

शर्त	इसका क्या अर्थ है
वीज़ा समाप्ति	वह अंतिम दिन जब आप न्यूज़ीलैंड में रह सकते हैं।
यात्रा की समाप्ति तिथि	वह अंतिम दिन जब आप न्यूज़ीलैंड में प्रवेश कर सकते हैं।
प्रविष्टियों की संख्या	यदि आपका वीज़ा यह दर्शाता है कि आपकी **कई** प्रविष्टियां हैं, तो आपकी **समाप्ति तिथि यात्रा से** पहले आप अपनी इच्छानुसार कितनी भी बार न्यूज़ीलैंड में प्रवेश कर सकते हैं।
वीज़ा की शर्तें	आपको इन शर्तों का पालन अवश्य करना होगा। यात्रा करते समय आपके पास न्यूज़ीलैंड से बाहर जाने का टिकट अवश्य होना चाहिए, सिवाय उस हालत में जब आपके वीज़ा के अनुसार वापसी/आगे की यात्रा आवश्यक न हो। यदि आपका वीज़ा आपको न्यूज़ीलैंड में काम करने की अनुमति देता है, तो आप केवल निर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत ही कार्य कर सकते हैं।

आपकी वीज़ा की शर्तों की जांच के बारे में अधिक जानकारी के लिए, इमिग्रेशन न्यूज़ीलैंड की वेबसाइट: **www.immigration.govt.nz** पर अपनी वीज़ा शर्तों की जांच करने वाले पेज पर जाएं।

कृपया न्यूज़ीलैंड सरकार की निम्न महत्त्वपूर्ण जानकारी से भी खुद को अवगत करें।

महत्त्वपूर्ण जैवसुरक्षा (निषेध) जानकारी

न्यूज़ीलैंड की यात्रा करते समय कुछ चीजें आप अपने साथ हरगिज नहीं ला सकते हैं। यह हमारे पर्यावरण को ऐसे संभावित कीटों और रोगों से बचाने में सहायता के लिए है, जो न्यूज़ीलैंड में नहीं हैं।

जिन चीजों की अनुमति नहीं है, उनमें निम्न शामिल हैं:

- ताजे फल और सब्जियां।
- फूल और बीज (प्रसाद के सामान सहित)।
- ताजा मांस या मछली।
- अनाज और दालें (जैसे कि मसूर, काबुली चना, अरहर और उड़द)।
- शहद और मधुमक्खी उत्पाद (इसमें शहद युक्त टॉनिक जैसे कि च्यवनप्राश शामिल हैं)।
- टॉनिक (च्यवनप्राश सहित)।

यदि आप न्यूज़ीलैंड में कोई प्रतिबंधित चीज लाते हैं, तो आपको उनके बारे में अपने यात्री आगमन कार्ड पर घोषणा करनी होगी। अथवा अपने आगमन पर आपको उन्हें एक चिन्हित जैवसुरक्षा कूड़ेदान में डालना होगा।

आप कुछ चीजें जैसे कि मिठाईयां और वैफर्स, और कुछ पकाने की चीजें ला सकते हैं। यदि आप इसे लेकर अनिश्चित हैं कि किसी चीज को न्यूज़ीलैंड में लाने की अनुमति है या नहीं, तो लैंड (जहाज से उतरने पर) करने पर आप यात्री आगमन कार्ड पर इसकी घोषणा करें।

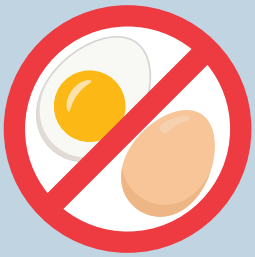

यह सुनिश्चित करने के लिए कि इनका प्रवेश देश में सुरक्षित है, हमारे क्वारन्टीन (संगरोध) अधिकारियों को इन चीजों का निरीक्षण करने की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप सही कदम उठाते हैं और घोषणा करते हैं, तो आपका **$400 NZD** के जुर्माने से बचाव होगा, चाहे उन चीजों की अनुमति हो या नहीं।

अधिक जानकारी के लिए,
www.biosecurity.govt.nz/hindi-declare देखें।

सीमाशुल्क संबंधी महत्त्वपूर्ण जानकारी

यदि आप न्यूज़ीलैंड में निम्न चीजें ला रहे हैं, तो आपको अपने यात्री आगमन कार्ड पर "**हाँ**" पर निशान लगाना होगा:

- ऐसी चीज़ें जो निषिद्ध अथवा प्रतिबंधित हैं, जैसे कि हथियार, आपत्तिजनक (अशिष्ट) सामग्री, या गैरकानूनी दवाएं
- $700 NZD की निजी रियायत से अधिक की चीजें, और ड्यूटी फ्री की अनुमति से अधिक तम्बाकू या मदिरा
- वाणिज्यिक, व्यवसाय, अथवा व्यापारिक उद्देश्यों से लाया गया सामान
- अन्य व्यक्ति के लिए लाया गया सामान
- $10,000 NZD अथवा अधिक, अथवा विदेशी मुद्रा के बराबर।

चेतावनी: गलत घोषणा करने पर **$400 NZD** का जुर्माना लगाया जा सकता है।

यदि वे आपके अपने इस्तेमाल के लिए हैं तो आपको अपने कपड़ों, जूते, और प्रसाधन चीजों की घोषणा नहीं करनी होगी - इन्हें 'निजी उपयोग की चीजें' माना जाता है।

न्यूज़ीलैंड में दवाएं अथवा प्रतिबंधित पदार्थ लाने के संबंध में

कृपया सतर्क रहें कि आप न्यूज़ीलैंड में कोई नियंत्रित दवाएं नहीं ला सकते हैं, जब तक कि वे दवाएं आपके निजी उपयोग के लिए न हों, आपके द्वारा लाई गई हों, और एक महीने के उपयोग के लिए पर्याप्त हों। इसमें स्यूडोएफिडरिन युक्त दवाएं शामिल हैं।

कोई उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा चेतावनी दी जा सकती है, सीमा पर प्रवेश से मनाही की जा सकती है, मिसयूज़ ऑफ ड्रग्स एक्ट (दवाओं का दुरुपयोग अधिनियम) के अंतर्गत पुलिस द्वारा आरोप लगाया जा सकता है और कारावास संभव हो सकता है। स्यूडोएफिडरिन युक्त ओवर दि काउंटर (बिना पर्ची की) दवाओं के उदाहरणों में सर्दी और जुकाम की गोलियां जैसे कि Contac NT, Black and White, Bufferin and Ame Flu (कांटैक एनटी, ब्लैक एंड व्हाइट, बफरिन और एमी फ्लू) शामिल हैं।

स्यूडोएफिडरिन युक्त दवाओं के आयात के संबंध में न्यूज़ीलैंड में बहुत कड़ी रोक है। आप न्यूज़ीलैंड में जो भी दवाई ला रहे हैं उसके लेबलों की जांच करें।

अज्ञात व्यक्तियों की ओर से न्यूज़ीलैंड में कोई चीजें या पार्सल मत लाएं। इन चीजों में नियंत्रित पदार्थ या गैरकानूनी मादक द्रव्य होने पर न्यूज़ीलैंड कानून प्रवर्तन आपराधिक जांच करेगा और आप पर अभियोग लगाया जा सकता है और आपको न्यू ज़ीलैंड में कारावास हो सकता है।

न्यूज़ीलैंड में अज्ञात व्यक्तियों की ओर से डाक अथवा कूरियर (वाहक) डाक सेवा से कोई पार्सल प्राप्त करने की सहमति न दें। इन पार्सलों में स्यूडोएफिडरिन, एफिडरिन या अन्य नियंत्रित पदार्थ पाए जाने पर, पुलिस आपराधिक जांच के परिणामस्वरूप न्यूज़ीलैंड में अभियोग लगाया जा सकता है।

यदि ऊपर बताई गई गैरकानूनी गतिविधियों में आप जानबूझकर शामिल पाए जाते हैं, तो न्यूज़ीलैंड में आपकी वीज़ा स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। अंततः आपको निर्वासित किया जा सकता है।

महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सुरक्षा जानकारी

न्यूज़ीलैंड एक सुरक्षित देश है और हम इसे सुरक्षित और सद्भावपूर्ण रखने के लिए आपसे मदद चाहते हैं।

यदि अपनी विजिट (सैर या दौरे) के दौरान आप किसी गंभीर समस्या का सामना करें, तो अग्निशमन सेवा, एम्बुलेन्स सेवा, और पुलिस सेवा के लिए आपातकालीन नंबर **111** है। यह तीनों सेवाएं एक ही आपातकालीन नंबर से संचालित होती हैं; कृपया अंग्रेजी में "फायर", "एम्बुलेन्स" अथवा "पुलिस" कहकर उन्हें बताएं कि आपको किस सेवा की ज़रूरत है।

गैर-आपातस्थितियों के लिए, और पहले से हुई किसी घटना की रिपोर्ट करने के लिए आप मोबाइल और लैंडलाइन फोन दोनों से ही 105 पर फोन कर सकते हैं। यह न्यूज़ीलैंड के निवासियों और विदेशी आगंतुकों के लिए दिन-रात उपलब्ध मुफ्त राष्ट्रव्यापी सेवा है।

न्यूज़ीलैंड में, सहायता के लिए आप भारत के उच्चायुक्त को भी **021 539 817** नम्बर पर फोन कर सकते हैं।

खुद को सुरक्षित रखने के बारे में अधिक जानकारी के लिए, **www.police.govt.nz/advice/personal-community** देखें।

न्यूज़ीलैंड में सुरक्षित रूप से ड्राइव करना (गाड़ी चलाना)

न्यूज़ीलैंड में ड्राइविंग के नियम और सड़क की दशाएं, भारत से बहुत भिन्न हैं।

यदि आप न्यूज़ीलैंड में ड्राइव करने की योजना बना रहे हैं, तो आपके पास एक वर्तमान और वैध विदेशी लाइसेंस होना आवश्यक है, जो अंग्रेजी में हो, अथवा लाइसेंस का शुद्ध अंग्रेजी अनुवाद साथ में रखें। आपके आगमन से पहले, यह बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को ड्राइविंग के इन नियमों और दशाओं से परिचित कर लें।

अधिक जानकारी के लिए, **www.nzta.govt.nz/resources/driving-in-nz/** अथवा **www.drivesafe.org.nz/home/** वेबसाइट को देखें।

- यदि आप सड़क के नियम भंग करते हैं अथवा कोई टक्कर मार देते हैं, तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है या अभियोग लगाया जा सकता है।
- न्यूज़ीलैंड में सड़क पर यात्रा शुरू करने से पहले, विशेषकर एक लंबी उड़ान के बाद, पर्याप्त विश्राम कर लें।
- कोई वाहन किराए पर लेते या खरीदते समय, सदैव सबसे सुरक्षित वाहन चुनें जो आप अफोर्ड कर सकते हों। न्यूज़ीलैंड में किराए पर कारें उससे अधिक प्रतिक्रियाशील और शक्तिशाली हो सकती हैं, जिनके आप आदी हों।

- यात्राएं, आपके अनुमान से अधिक लंबी हो सकती हैं। नक्शे पर दूरियां कम लग सकती हैं, लेकिन यात्रा के लिए पर्याप्त समय निकाल कर चलें।
- **सदैव बाएं चलाएं।** हर बार आप ड्राइव करते समय, बाएं रहें।
- यदि अपनी विजिट के दौरान आप किसी गंभीर समस्या का सामना करें, तो अग्निशमन सेवा, एम्बुलेन्स सेवा, और पुलिस सेवा के लिए आपातकालीन नंबर **111** है। यह तीनों सेवाएं एक ही आपातकालीन नंबर से संचालित होती हैं; कृपया अंग्रेजी में "फायर", "एम्बुलेन्स" अथवा "पुलिस" कहकर उन्हें बताएं कि आपको किस सेवा की ज़रूरत है।
- सतर्क रहें कि अनेक पहाड़ियों और तीखे मोड़ों के साथ अनेक सड़कें एक लेन वाली हैं।

- सड़कों के अलग-अलग भागों पर गति के नियम अलग-अलग हैं। गति सीमा के संकेत, अनिवार्य अधिकतम गति सीमा दर्शाते हैं - उनका उल्लंघन मत करें। सड़क की दशाओं के अनुसार सुरक्षित गति पर ड्राइव करें, जो गति सीमा के संकेत से कम हो सकती है।

- कानून के अनुसार, वाहन में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सीट बेल्ट या चाइल्ड रेस्ट्रेंट (बच्चों पर नियंत्रण के उपकरण) लगाना अनिवार्य है - चाहे वे आगे बैठे हों या पीछे। सात वर्ष से छोटे बच्चों के लिए अनुमोदित चाइल्ड रेस्ट्रेंट अवश्य प्रयोग किया जाना चाहिए। सीट बेल्ट न लगाने पर, आप **$150 NZD** के जुर्माने का खतरा मोल लेते हैं।
- ड्राइविंग करते समय अपना मोबाइल फोन उपयोग करना गैरकानूनी है। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप पर **$80 NZD** का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- अपनी निगाह सड़क पर रखें, सीनरी (दृश्यावलियों) पर नहीं। यदि आप रूकना और दृश्य देखना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि अपना वाहन सड़क से एकदम अलग ऐसे स्थान पर खड़ा करें जहां रूकना सुरक्षित हो।
- न्यूज़ीलैंड में कारों को पैदल यात्रियों और साइकिल चलाने वालों पर प्राथमिकता नहीं दी जाती है।
- यदि आपके पास एक वर्तमान और वैध विदेशी ड्राइवर लाइसेंस है, तो आप न्यूज़ीलैंड में आने की तिथि से अधिकतम 12 महीने तक ड्राइव कर सकते हैं।

भारतीय यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जानकारी

स्वास्थ्य सूचना और सलाह

कृपया अवगत रहें कि न्यूज़ीलैंड में इलाज मुफ्त नहीं है।
मुफ्त अथवा रियायती इलाज पाने के लिए आपको न्यूज़ीलैंड का नागरिक अथवा स्थायी निवासी होना चाहिए।

न्यूज़ीलैंड की यात्रा करने से पहले:

- सुनिश्चित करें कि आपके पास चिकित्सा बीमा है जिसमें विविध उपचार के विकल्प कवर किए गए हैं, विशेषकर यदि आप अधिक आयु के हैं अथवा पहले से मौजूद मेडिकल (चिकित्सा सम्बन्धी) समस्याएं हैं।
- सुनिश्चित करें कि आपके पास चिकित्सा सम्बन्धी दशाओं, दवाओं, और एलर्जियों की अंग्रेजी में लिखित सूची है और न्यूज़ीलैंड में आप यह सूची अपने साथ लेकर आएं।
- यदि आपको कोई चिकित्सा सम्बन्धी समस्या है, तो सुनिश्चित करें कि आपकी न्यूज़ीलैंड की सैर के दौरान आपके पास पर्याप्त मात्रा में दवाएं हैं।

न्यूज़ीलैंड में, यदि आपको किसी सार्वजनिक अस्पताल में किसी विशेषज्ञ को दिखाने की जरूरत हो, तो आपके पास किसी आपातकालीन विभाग के डॉक्टर या सामान्य प्रैक्टिशनर का रेफरल (संदर्भ) होना आवश्यक है। यदि आप किसी प्राइवेट स्पेशलिस्ट (निजी विशेषज्ञ) को दिखाना चाहते हैं, तो आप खुद मुलाकात निर्धारित कर सकते हैं।

न्यूज़ीलैंड में आपके समय के दौरान, कोई प्राणघातक चिकित्सकीय समस्या या गंभीर दुर्घटना/चोट लग जाने की स्थिति में:

- 111 नम्बर पर एम्बुलेन्स को फोन करें अथवा किसी नजदीकी सार्वजनिक अस्पताल के आपातकालीन विभाग में जाएं।
- चिकित्सा कर्मचारी द्वारा आपसे पासपोर्ट के लिए पूछे जाने पर, आपको अपना चिकित्सा प्रमाणपत्र और बीमा प्रमाणपत्र (यदि आवश्यक हो) भी दिखाना चाहिए।
- [अस्पताल] छोड़ने पर अपना डिस्चार्ज लेटर (अस्पताल से छुट्टी का पत्र) लेना सुनिश्चित करें। इसमें, न्यूज़ीलैंड में आपके रोगनिदान और इलाज के बारे में जानकारी होती है जो भारत में आपके डॉक्टर के लिए सहायक होगी।

यदि आपको किसी कम तात्कालिक चिकित्सा सम्बन्धी समस्या अथवा दुर्घटना/चोट के लिए स्वास्थ्य सेवा चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं:

- किसी सामान्य प्रैक्टिशनर (GP) को दिखाएं। स्थानीय सामान्य प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों की सूची के लिए इंटरनेट पर खोज करने पर आपको अपने इलाके में GP के बारे में जानकारी, उनके काम के समय के बारे में, तथा काम के समय के बाद और आपातस्थिति में संभव उपायों के बारे में जानकारी मिल जाएगी।
- शहरों में आप एक्सीडेंट और मेडिकल क्लीनिक (अर्जेन्ट केयर क्लीनिक) में जा सकते हैं, जहां अप्वाइंटमेंट (मुलाकात निर्धारित करने) की ज़रूरत नहीं होती (यहां डॉक्टर को दिखाने के लिए प्रायः कुछ समय तक इंतज़ार करना पड़ता है)। अपने निकट के एक्सीडेंट और मेडिकल क्लीनिक का पता करने के लिए आप: **www.health.govt.nz/new-zealand-health-system/key-health-sector-organisations-and-people/district-health-boards/district-health-board-websites** वेबसाइट पर जाएं। जिस इलाके में आप रह रहे हैं, वहां के डिस्ट्रिक्ट हैल्थ (जिला स्वास्थ्य) बोर्ड पर क्लिक करें।

हैल्थलाइन

आप प्रशिक्षित रजिस्टर्ड नर्सों से मुफ्त सलाह और/ अथवा अपने निकटतम एक्सीडेंट और मेडिकल क्लीनिक के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हैल्थलाइन को **0800 611 116** पर फोन कर सकते हैं।

अधिक जानकारी

न्यूज़ीलैंड की सार्वजनिक स्वास्थ्य और विकलांगता प्रणाली के बारे में अधिक जानकारी **www.health.govt.nz** पर पाई जा सकती है।

न्यूज़ीलैंड में चोट लग जाने पर आपको क्या करना चाहिए

यदि आपको न्यूज़ीलैंड में चोट लग जाती है, चाहे आप विदेश से सैर पर आए हों, तो दुर्घटना मुआवजा निगम (एक्सीडेंट कम्पनसेशन कार्पोरेशन) (एसीसी) इलाज और सहायता के खर्च में आपकी मदद कर सकता है।

यदि आपको किसी चोट के लिए चिकित्सा सहायता चाहिए, तो आप इलाज के लिए स्थानीय डॉक्टर (GP) के पास या एक्सीडेंट और मेडिकल क्लीनिक में जा सकते हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी, एसीसी दावा भरने में आपकी मदद कर सकते हैं।

एसीसी, निम्न प्रकार की चोटों की लागतें कवर करने में मदद कर सकता है:

- कटना, खरोंच अथवा जलना
- मोच, या पेशियों में खिंचाव आना
- हड्डियां टूटना या स्थान से हट जाना
- दांतों में चोट लगना
- यौन हिंसा के कारण मानसिक आघात

अधिक जानकारी के लिए **www.acc.co.nz** वेबसाइट को देखें अथवा **+64 0800 101 996** पर फोन करें।

एसीसी के पास दुभाषिए हैं, जो उनसे बात करने में आपकी मदद कर सकते हैं।

- यदि आपके साथ कोई चिकित्सा सम्बन्धी आपातस्थिति हो तो जल्दी से जल्दी **111** पर फोन करें अथवा नजदीकी सार्वजनिक अस्पताल में जाएं।

बीमारी, संपत्ति को नुकसान या चोरी होने, आपातकालीन यात्रा, बाधित यात्रा योजनाएं, या क्रूज जहाज या हवाई जहाज पर हुई दुर्घटनाओं के मामले में एसीसी आपकी मदद नहीं कर सकता है। हमारी सलाह है कि आप यात्रा बीमा कराएं।

हिन्दी 2019

www.newzealand.com

New Zealand Government

सितम्बर 2019